कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री राधेश्याम शर्मा निवासी नियम रेल्वे स्टेशन, भारतीय ए.वी.एम. स्कूल के पास, प्रेम नगर, दौसा जिला दौसा राजस्थान –303303

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

अपील संख्या 09/2025

निर्णय

दिनांक 1[illegible].03.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सिकराय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सिकरायको प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सिकराय से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिकराय को पत्र कमांकःडीएम/कोर्ट/2025/381 दिनांक 12.2.2025 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। किन्तु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिकराय की ओर से कोई जवाब/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को वांछित नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested